नई शिक्षा नीति के संबंध में ''लोक विज्ञान परिषद'' के चिंतन-सूत्र

New Education Policy : A view of Lok Vigyan Parishad

- रामशरण दास
Ramsharan Das
rsgupta_248@yahoo.co.in

लोक विज्ञान परिषद ने अपनी कार्यकारिणी की एक विशेष बैठक में भारतीय शिक्षा, विशेषकर विज्ञान शिक्षा की वर्तमान अवस्था और उसमें परिवर्तन की आवश्यकताओं की दृष्टि से किए जाने वाले नीतिगत फैसलों के संबंध में विचार किया और एक प्रभावी, मानव निर्माणक, प्रगतिशील, सर्वसमाहक जीवन संवर्धक शिक्षानीति के सूत्र तैयार कर अपने सुझाव नीति आयोग को भेजे। इन सुझावों का सार इस प्रकार है :-

- 100 प्रतिशत साक्षरता का लक्ष्य शीघ्र प्राप्त करने के लिए साक्षरता-दूतों को निरक्षरों के कार्यस्थलों तक पहुँचाना चाहिए। इसके लिए राष्ट्रीय समाज सेवा (NSS) को प्रभावी रूप से साक्षरता अभियान से जोड़ा जा सकता है।
- भावी पीढ़ी के लिए, योजनाबद्ध रूप से, 100 प्रतिशत अनिवार्य, मुफ्त प्राथमिक शिक्षा, 90 प्रतिशत उच्च प्राथमिकता शिक्षा, 30 प्रतिशत माध्यमिक शिक्षा तथा 70 प्रतिशत उच्च माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- स्कूली शिक्षा का व्यावसायीकरण बन्द होना चाहिए। (1-12) कक्षा तक की शिक्षा, शिक्षा के अधिकार के तहत, पूरी तरह मुफ्त होनी चाहिए। गैर सरकारी स्कूलों को सेवाभाव से इस प्रक्रम में जुड़ने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए। देश भर में स्थानीय संसाधनों, विविधताओं और विशेषताओं को समाहित करते हुए एकसमान शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। एक स्कूल के आस-पास के सभी वर्गों के बच्चे उस स्कूल में समान शिक्षा प्राप्त करें। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्राथमिक स्कूल तक पहुँचाने के लिए बच्चे को देश में कहीं भी एक किलोमीटर से अधिक दूरी तय न करनी पड़े। इसके लिए सेवाभावी स्वयंसेवी संगठनों और बड़े व्यवसायों के सेवा अंशदान की सहायता ली जा सकती है। विभिन्न स्कूलों के शिक्षा स्तरों में अंतर को समाप्त किया जाना चाहिए।
- शिक्षा जमीन से जुड़ी, परम्पराओं का सम्मान करने वाली किन्तु आधुनिक ज्ञान-विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में तर्कसम्मत ढंग से जीवन मूल्यों को अपनाने की और प्रवृत्त करे। मानवीय धर्म-करुणा, त्याग, सहयोग तथा जीवन संयोजक मूल्यों - श्रम, शांति, सद्व्यवहार, सत्य, अहिंसा, प्रेम आदि का मार्ग प्रशस्त करे। व्यक्ति को न सिर्फ अपने और अपने परिवार के बल्कि सम्पूर्ण समाज के हित के लिए समर्थ बनाए, प्रेरित करे। कोई न कोई हस्त कौशल सिखाए, हाथ से काम करने में गौरव का अनुभव करे। प्राथमिक स्तर पर लिखना, पढ़ना, बोलना, अंकगणित, कला, पर्यावरण के प्रति जागरूकता पर जोर रहे।
- अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा का सम्मोहन तोड़ा जाए। कक्षा-10 तक शिक्षा का माध्यम अनिवार्यत: मातृभाषा रहे। कक्षा 5 तक एक ही भाषा पढ़ाई जाए - मातृभाषा। कक्षा 6 से 8 तक त्रिभाषा सूत्र लागू किया जाए : हिन्दी भाषी क्षेत्रों में - प्रथम भाषा हिन्दी, द्वितीय भाषा संस्कृत, तमिल या अरबी जैसी कोई क्लासिकल भाषा। विषय के रूप में अंग्रेजी दूसरी भाषा के रूप में कक्षा-6 से शुरू की जा सकती है। अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में प्रथम भाषा - मातृभाषा, द्वितीय भाषा -

संपर्क भाषा हिन्दी और तृतीय भाषा अंग्रेजी या अन्य कोई भी भाषा रह सकती है। 11-12 कक्षाओं में तकनीकी शब्दों की मातृभाषा तथा अंग्रेजी, दोनों ही भाषाओं की शब्दावली प्रयोग में लाई जाए। उच्च माध्यमिक स्तर पर विषय के रूप में भाषाऐं पढ़ाया जाना केवल ह्यूमिनिटीज (मानविकी-इतिहास, भूगोल, साहित्य आदि) के लिए ही आवश्यक हो।

- विद्यालय आनंदपूर्वक अधिगम प्राप्ति का केन्द्र रहे। कौशल प्रशिक्षण आत्मविश्वास बढ़ाने वाला हो। उच्च माध्यमिक शिक्षा प्राप्त विद्यार्थी अपने-अपने व्यवसाय चलाने या छोटे स्तर के तकनीशियनों के रूप में नियुक्ति के पात्र हों। इसके लिए विद्यालयी शिक्षा में व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा के तत्त्व समाविष्ट किए जाएँ, जिनका अनुपात 60:40 हो सकता है।
- सामान्य विद्यालयी शिक्षा में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पद्धति जारी रखी जाय किन्तु प्रक्रमों को वस्तुनिष्ठ , सहज मूल्यांकन के लिए ढाला जाए और शिक्षकों को तदनुरूप प्रशिक्षित किया जाए। माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, स्नातक, स्नातकोत्तर एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम समाप्ति पर पब्लिक परीक्षाएँ अवश्य रखी जाए। एक पब्लिक परीक्षा आयोग यह सुनिश्चित करे कि देश के सभी संस्थान शिक्षा के उच्च मानकों पर तुलनीय कार्य कर रहे हैं और सभी संस्थानों के उपयुक्त पात्रता के लिए विद्यार्थी बाहर आ रहे हैं।
- प्रत्येक प्रवेश स्टेज पर मानकीकृत एप्टीट्यूड जाँच की जानी चाहिए और विशेषज्ञ परामर्शदाताओं द्वारा बच्चे की पूर्ववर्ती मासिक परीक्षा में अंक, एप्टीट्यूड टैस्ट में अंक, बच्चे की रुचि तथा अभिभावकों की योजना को ध्यान में रखकर मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए। आई.आई.टी., आई. आई.आई.टी., एन.आई.आई.टी., आई.आई.एस. सी., आई.आई.एम. जैसे गुणवत्तापूर्ण संस्थाओं की संख्या बढ़ाकर देश के लिए आवश्यक विशेषज्ञों एवं तकनीशियनों की संख्या के अनुरूप प्रवेश दिए जाने चाहिए। विश्वविद्यालयों में अनुसंधान एवं विकास विभाग अनिवार्य किए जाने चाहिए। अनुसंधान को प्रोत्साहित करने और प्रतिभाशाली अन्वेषकों को आकर्षित करने के लिए अनुसंधानकर्त्ताओं के वेतनमान और उनको मिलने वाली सुविधाएँ बेहतर की जानी चाहिए। प्रत्येक स्तर पर नवाचारी सोच को बढ़ावा देने और नवाचारी प्रयासों को प्रोत्साहित करने की व्यवस्थाएं की जानी चाहिए।
- तकनीकी तथा विश्वविद्यालयी शिक्षा को मुक्त किया जाना चाहिए और इसके लिए प्रायवेट प्लेयर्स को भी आमंत्रित किया जा सकता है। इस स्तर पर शिक्षा मुफ्त नहीं हो सकती। विश्वस्तरीय गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए बहुत धन की आवश्यकता होगी। किन्तु शिक्षा यदि परिणामदर्शी, कौशल सम्पन्न, विशेषज्ञ उत्पन्न करेगी तो लोग धन देंगे। निम्न वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियां को सरकार छात्रवृत्तियों अथवा ऋण के रूप में सहायता दे सकती है। उच्च माध्यमिक विद्यालयी स्तर पर और उसके आगे शिक्षा क्रेडिट आधारित हो। विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार क्रेडिट प्राप्त करे और एक न्यूनतम क्रेडिट स्कोर कर लेने के बाद आगे बढ़ें। प्रकार्यात्मक संस्कृत को अच्छे क्रेडिट के साथ स्थान मिले और सभी विषय धाराओं में उसके अनुप्रयोगों पर कार्य किया जाए।
- शिक्षा संस्थानों की मान्यता के लिए विश्वस्तरीय मानकों के अनुरूप नियम बनाए जाएँ और उन्हें ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ लागू किया जाए। मानकों पर खरे न उतरने वाले शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को बंद किया जाए। शिक्षकों

को आधुनिकतम शिक्षण पद्धतियों और संसाधनों के उपयोग के लिए तैयार करने हेतु सतत प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। प्रोन्नति में नवविचार, अनुसंधान और शिक्षार्थियों की प्रगति के लिए योगदान को आधार बनाया जाए। शिक्षक के लिए प्रत्येक पाँच साल में प्रोन्नति के अवसर रहें। शिक्षा विभागों के सभी निर्णयों और निर्देशों में पारदर्शिता रहे।

- अनुसंधान और नवाचार की मान्यता का आधार उसकी व्यावसायिक उपयोगिता, समाज को प्राप्त होने वाला लाभ तथा अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान समुदाय में उसके उल्लेख द्वारा हो।
- शिक्षा संस्थानों की कार्यकारी एवं शैक्षणिक परिषदों में विभिन्न ज्ञान शाखाओं के विशेषज्ञों का समावेश हो। भारतीय अनुसंधान में विदेशी विशेषज्ञों की सेवाओं का लाभ लिया जाए और विश्व के उच्च अनुसंधान संस्थानों से भारतीय विशेषज्ञों को जोड़ा जाए।
- अनुसंधान का लाभ जन–सामान्य तक पहुँचाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग कर उनसे विशेषज्ञों से संपर्क की व्यवस्था की जाए।
- संस्थानों के प्रमुखों का कार्यकाल 5 साल से अधिक न रखा जाए ताकि इनमें नव प्राण संचार की संभावना बनी रहे।

LIST OF REVIEWERS OF THIS ISSUE

Dr. Arti Noor
CDAC, Noida
Sector-62, Noida, U.P.
E-mail : artinoor@cdac.in

Prof. Seema Shukla
Dept. of Computer Science
JSS Academy of Technical Education
Sector-62, Noida
E-mail : seemashukla@jssaten.ac.in

Prof. Ashutosh K. Singh
Head, Dept. of Computer Applications
NIT Kurukshetra, Haryana
E-mail : ashutosh@nitkkr.ac.in

Shri Ram Kumar Dangi
Librarian, BHU, Varanasi, UP
E-mail : rkdangi05@rediffmail.com

Dr. Ram Gopal Garg
School of Library Science & Information Service
Jiwaji Univ., Gwalior, MP
E-mail : drrggargarg@gamil.com

Dr. Sanjiv Saraf
Central Library, BHU, Varanasi, UP
E-mail : gyanshrisanjiv@rediffmail.com

Prof. Kapil Gupta
Dept. of Computer Applications
NIT Kurukshetra, Haryana
E-mail : kapil@nitkkr.ac.in

Prof. Dinesh C Sharma
Dept. of Computer Science & Engineering
Sharda University, Greater Noida, UP
E-mail : dineshc@gmail.com

Prof. Deepti Chopra
Dept. of Computer Science
Banasthali University
E-mail : deeptichopra11@yahoo.in

Dr. A. S. Kamble
Senior Director,
Min. of Electronics & IT, New Delhi
E-mail : ask@mit.gov.in

Prof. K. K. Mishra
Homi Bhabha Center for Science Education
TIFR, Mumbai - 88
E-mail : kkm@gbese.tifr.res.in

Prof. K. K. Goswami
H. No. 1764, Outram Lines
Dr. Mukharjee Nagar (Kingsway Camp)
Delhi - 110009
E-mail : kkgoswami1942@gmail.com